

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 909/2016 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 28.12.2016

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1. रामअवतार शर्मा पुत्र सालिगराम शर्मा उम्र 50 वर्ष
 2. मोनू शर्मा पुत्र रामअवतार शर्मा उम्र 22 वर्ष
- निवासीगण— वार्ड नं05 शान्ति नगर जेल रोड गोहद,
जिला भिण्ड, म0प्र0

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा— 452, 504, 506 भाग—2, 323 एवं 201 भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री राजेश शर्मा)

निर्णय

(आज दिनांक 06-09-2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 14.10.16 को 13:10 बजे जेल रोड गोहद में फरियादी रविसिंह गुर्जर के निवास ग्रह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर आपराधिक ग्रह अतिचार कारित करने, फरियादी रवि सिंह गुर्जर को अपमानित करने के आशय से गाली गलौज कर प्रकोपित करने, फरियादी रवि सिंह गुर्जर को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने, फरियादी रवि सिंह गुर्जर की लाठी/कुल्हाडी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं अपराध में प्रयुक्त आयुध लाठी/कुल्हाडी को छिपाकर साक्ष्य का विलोपन करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 452, 504, 506 भाग—2, 323 एवं 201 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.10.16 को फरियादी रवि गुर्जर अपने घर की बैठक में बैठा था तभी आरोपी रामअवतार एवं मोनू शर्मा घर के अंदर बैठक में आए थे और उससे कहा था कि तुम्हारी शादी की वीडियो कैसेट एवं एल्बम के एक हजार रुपये बकाया हैं उन्हें देदो। उसने आरोपीगण से वीडियो कैसेट एवं एल्बम तैयार कर उसे देने के लिए कहा था इसी बात पर आरोपीगण उसे मां बहन की गालियां देने लगे थे जब उसने आरोपीगण को गाली देने से मना

किया था तो आरोपी मोनू ने उसके बांय हाथ में कुल्हाड़ी मारी थी एवं रामअवतार ने उसके बांय हाथ की कोहनी में लाठी मारी थी मौके पर प्रदीप घुरैया एवं राजवीर गुर्जर ने झगड़े का बीच बचाव किया था आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 295/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी रवि सिंह गुर्जर द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दवाब के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0द0सं0 की धारा 504, 323, एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा0द0सं0 की धारा 452 एवं 201 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 14.10.16 को 13:10 बजे जेल रोड गोहद में फरियादी रवि सिंह गुर्जर के निवास ग्रह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर आपराधिक ग्रह अतिचार कारित किया?

2. क्या आरोपीगण ने अपराध में प्रयुक्त आयुध लाठी/कुल्हाड़ी को छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी रविसिंह गुर्जर आ0सा01 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी रवि सिंह गुर्जर आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 10-11 महीने पहले की दिन के डेढ बजे की है वह रास्ते से जा रहा था तो उसे आरोपी मोनू एवं रामअवतार रास्ते में मिले थे रास्ते से निकलने के उपर उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गाली गालौंच कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी। जो प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं नक्शामौका प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण में झगड़े के दौरान उसके घर में घुसकर उसकी मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि घटना वाले दिन आरोपीगण उसकी बैठक में आ गए थे तथा आरोपीगण ने लाठी/कुल्हाड़ी से उसकी मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने

अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी01 एवं पुलिस कथन प्र0पी03 में पुलिस को लिखाई थी।

9. इस प्रकार फरियादी रवि सिंह गुर्जर अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपीगण से रास्ते पर मात्र मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गाली गलौच करना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने घर में घुसकर लाठी कुल्हाड़ी से उसकी मारपीट की थी। इस प्रकार फरियादी रवि सिंह गुर्जर अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने फरियादी रवि सिंह गुर्जर की घर में घुसकर मारपीट की थी एवं आरोपीगण ने घटना में प्रयुक्त आयुध लाठी/कुल्हाड़ी को छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

10. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 14.10.16 को 13:10 बजे जेल रोड गोहद में फरियादी रवि सिंह गुर्जर के निवास ग्रह में उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर आपराधिक ग्रह अतिचार कारित किया एवं आरोपीगण ने अपराध में प्रयुक्त आयुध लाठी/ कुल्हाड़ी को छिपाकर साक्ष्य का विलोपन किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी रामअवतार शर्मा एवं मोनू शर्मा को भा0द0स0 की धारा 452 एवं 201 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

12. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान—गोहद

दिनांक :-06.09.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)